राजस्थान सरकार

निदेशालय विशेष योग्यजन

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

पं. दीन दयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन

शिविर–2017

सामान्य निर्देश

पृष्ठभूमि

- जनगणना अन्तर्गत विशेष योग्यजनों की संख्या 15 लाख
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अन्तर्गत लाभान्वित 4 लाख
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (**The Rights of Persons with Disabilities Act**) 2016 अन्तर्गत नि:शक्तता की श्रेणियां 21

उद्देश्य

- चिन्हीकरण (**Identification**) एवं पंजीयन (**Registration**)
- निःशक्तता प्रमाण पत्र (**Disability Certificate**) जारी करना।
- कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण (**Aids & Appliances**) उपलब्ध करवाना।

उद्देश्य

- **Unique Disability ID Card,** पेंशन, बस पास, ऋण, पालनहार इत्यादि योजनाओं से लाभान्वित

- योजनाओं का प्रचार–प्रसार
- एक डाटा बैस तैयार कर ऑन लाईन रिकॉर्ड संधारित

विशेष योग्यजन शिविर तीन चरणों में

1 जून से 24 सितम्बर 2017	25 सितम्बर से 12 दिसम्बर 2017	13 दिसम्बर से 31 मार्च 2018
चिन्हीकरण एवं पंजीयन (ई-मित्र/अटल सेवा केन्द्रों पर अथवा स्व पंजीकरण)	निशक्तता प्रमाणीकरण शिविर (विधानसभा वार कैम्प)	कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण वितरण शिविर (जिला स्तर पर कैम्प)

निशक्तता प्रमाणीकरण (Disability certification camp)

25 सितम्बर से 12 दिसम्बर, 2017

प्रमाणीकरण शिविरों से पूर्व की तैयारियां

- विधानसभावार समय व तिथि का निर्धारण कर प्रचार–प्रसार
- आवश्यकतानुसार मेडिकल टीम का गठन
- चिन्हित विशेष योग्यजनों को शिविर स्थल तक लाने के लिए कार्मिकों की जिम्मेदारी
- कम्प्यूटर विद् ऑपरेटर एवं ई–मित्र काउण्टर
- शिविर स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा विशेष योग्यजनो के कल्याणार्थ संचालित योजनाओ को फ्लेक्स शीट के माध्यम से प्रदर्शन
- आधार एवं भामाशाह नामांकन के लिए टीम का गठन।
- फोटो ग्रॉफर, फोटो स्टेट/कॉपी की निःशुल्क व्यवस्था
- भुगतान आधारित चाय–नाश्ता की व्यवस्था (**Paid Canteen**)।

प्रमाणीकरण शिविर के दौरान गतिविधियां

- निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी करना तथा संबधित विशेष योग्यजनो को किस प्रकार के कृत्रिम अंग उपकरण की आवश्यकता है, की अभिशंषा करना।
- जिनको कृत्रिम हाथ/पैर/पोलियो सुधार ऑपरेशन (पोलियो सर्जरी) की आवश्यकता है, को चिन्हित कर संबंधित जिले के जिला अस्पताल में पोलियो सुधार ऑपरेशन हेतु आमंत्रित करना
- कृत्रिम हाथ एवं पैर हेतु भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर से सम्पर्क
- 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के ऐसे मूक बधिर बालक–बालिकाएं जो कि कॉकलियर इम्पलान्ट की पात्रता रखते हो उन्हें भी चिन्हित करना कॉकलियर इम्पलान्ट से लाभान्वित करने हेतु सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर एवं एम.डी.एम. हॉस्पिटल, जोधपुर में चिन्हित विशेष योग्यजनों को कॉकलियर इम्पलान्ट शल्यक्रिया हेतु रेफर करना।
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्रियान्वित नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोगाम **(NBCP)** राष्टीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम **(RBSK)** आदि के अन्तर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष योग्यजनों तथा विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को चिन्हित कर लाभान्वित किये जाने संबंधी कार्यवाही करना।

प्रमाणीकरण शिविर के दौरान गतिविधियां

- शिविर स्थल पर आधार एवं भामाशाह नामांकन
- विशेष योग्यजनों के कल्याणार्थ संचालित विभिन्न योजनाओं यथा पेंशन, संयुक्त सहायता अनुदान योजना (कृत्रिम अंग/उपकरण) पालनहार, ऋण, बस/रेल पास एवं आस्था कार्ड आदि के आवेदन–पत्र (भामाशाह एवं आधार नामांकन सहित) भरवाने
- विभिन्न विभागों द्वारा विशेष योग्यजनो के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं को फ्लेक्स शीट के माध्यम से शिविर स्थल पर प्रदर्शन कृत्रिम अंग/उपकरण वितरण, शिविर कार्यक्रम (दिनांक एवं स्थल) की जानकारी देना।
- प्रमाणित विशेष योग्यजनों की सम्पूर्ण जानकारी उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संधारण

चिन्हित विशेष योग्यजनों हेतु प्रमाणीकरण की प्रक्रिया

- निःशक्तता के प्रमाण पत्र उसके संबंधित विषय विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा ही जारी किए जाएंगे। ऐसे विशेष योग्यजनों के प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किए जायेगें।

- एक से ज्यादा निःशक्तता (**Multiple disability**) वाले विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किए जाएंगे। बहु निःशक्तता , मानसिक निःशक्तता व मानसिक रूग्णता की श्रेणियों के चिन्हित विशेष योग्यजनों का यदि अभियान के दौरान प्रमाणीकरण किया जाना संभव न हो तो जिला अस्पताल /मेडिकल कॉलेज में पृथक से प्रमाणीकरण करवाना।

- शिविरों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा अधिकारी की अनुपलब्धता के कारण विशेष योग्यजन को प्रमाण–पत्र जारी करने में कठिनाई उत्पन्न न हो इसलिए विशेष योग्यजनों के विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध कराने के लिए निकटवर्ती जिले में कार्यरत चिकित्सक अथवा मेडिकल कॉलेज में कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सक की सहायता ली जा सकेगी। संभागीय आयुक्त इस संबंध में समन्वय स्थापित कर आदेश जारी करवायेगें।